

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 13/2017  
(वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 11/2017 में संशोधन)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 11/2017 दिनांक 20.07.2017 के पैरा-3 के सब पैरा (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1% की दर से श्रमिक उपकरण को जी.एस.टी. में शामिल नहीं किया गया है और यह अभी भी लागू है तथा इसकी वसूली जारी रखी जाएगी ।

2. इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने अग्रदाय-धारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए तथा केवल जुलाई, 2017 माह के दौरान अपंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए व्यय के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अग्रदाय के समायोजन में परेशानी से बचने के लिए, दिनांक 20.07.2017 के वित्त एवं व्यय के परिपत्र सं. 11/2017 के पैरा 2(ii) के प्रावधान में छूट के लिए सहमति प्रदान कर दी है ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को केवल जुलाई, 2017 माह के दौरान अपंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अग्रदाय-धारियों द्वारा किए गए व्यय के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अनुसार जी.एस.टी. के रिवर्स चार्ज का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

ये आदेश उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं ।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ.ई.5(17)2017/डी.डी.ए./346

दिनांक : 26.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उपाध्यक्ष वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ ;
2. प्रधान आयुक्त, भूमि निपटान/आवास/कार्मिक एवं उद्यान;
3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/मुख्य अभियंता (कोटि आश्वासन कक्ष);

4. आयुक्त एवं सचिव/आयुक्त (खेल);
5. मुख्य विधि सलाहकार;
6. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक, भूमि लागत निर्धारण/कार्य/लेखा-परीक्षा/  
नजारत/वित्त/सतर्कता;
7. जी.एस.टी. फैसिलिटेशन सेल के सभी सदस्य;
8. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)-I एवं II;
9. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय लेखा इकाई  
(खेल)/वेतन एवं लेखा अधिकारी;
10. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)